

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

S.No. 257

Date :- 13/06/2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan में 0.20 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेत बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।

	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा 8,72,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
8	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) 61,05,000/- रुपये जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी. की रुपये 1,25,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रुपये 79,88,695/- राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
11	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अधिकरण द्वारा धन राशि रुपये 79,88,695/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 79,88,695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 61,05,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 1,25,000/- रुपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि - 3,87,639/- रुपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि - 4,99,056/- रुपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हैं जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(रामचन्द्र मीना)

अभिजायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड अकलेस
डायरेक्ट ऑफिस 5294

क्रमांक :- 257

दिनांक :- 13/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अभिजायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
उपखण्ड अकलेस
डायरेक्ट ऑफिस 5294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के
अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3
की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या
से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
झी 0 डी 0 ओ 0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में
प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर
एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा भूज से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000/— रुपये जमा करवा दी गई है।
चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित) राशि 61,05,000 /—रुपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,25,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे 79,88,695/-रूपये जमा करा दिये गये है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डो 0 डो 0 ओ 0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीन)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीनम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डो 30 डो 30 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :-Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(रामचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :—Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

(खमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पीओ डीओ 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:-101

दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंक्षक

झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0

विषय:- सम्पर्क सडक एन-52 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा अन्डर RRSMP (Phase-II)
in Distt. झालावाड़ ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 499056.00 रु केम्पा
फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टेजरी के बिल की
प्रति सलंगन कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय
(एन.सा.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवस/2019-20/

निमित्त :-

दिनांक:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajasthan.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के क्रम में विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagaun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan. में 0.2 हैक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।

हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रियल पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रु 125200 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी राशि रु 7988695 जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रु 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से भिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रु. 2. मार्ग के तीनों तरफ वृक्षारोपण 6880599 /- रु. 3. एन.पी.वी - 125200 /-

स्वीकृति की अनुपालना आरम्भ (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एमपीकी क्षतिपूर्ति कारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15. राज्य सरकार द्वारा की गई उचित अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चिता की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति का युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

हस्ता.

(नन्दलाल प्रजापत)

उप वन संरक्षक

झालापाड़

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2019-20/ 9135

दिनांक: 10-6-19

प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेश को उनके पत्रांक 110 दिनांक 28.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ता.
उप वन संरक्षक
झालापाड़

9c

कार्यालय अधिराषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : 107

उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक : 28.5.19

विषय:- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura under RRSMP (Phase II) in Rajssthan.

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7759/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (51) वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 किमी. 358/500 से नयागाव भानपुरा अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.2 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति हानि पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की रहेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के ध्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।

39-5-19

	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जावेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। अण्डर टेकिंग सलंगन है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, राशि रु. 125200/- रुपये जमा करवा दी गयी है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी, राशि रु. 7988695/- रुपये जमा करवा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रु. 902936 रुपये सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सद्दाम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हाँ जी, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा। तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी। इस सन्दर्भ में प्रमाण पत्र सलंगन कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अभिकरण द्वारा धन राशि 7988695/- रुपये जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंगन है। कुल 7988695 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936/- 2. मार्ग के तीनों तक वृक्षारोपण:- 6880559/- 3. एन.पी.वी. -125200/-
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की प्रकरण में जारी स्वीकृति की जावे तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी। जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति सलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
सलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र
3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल. श्रीवांगडी)
अधिराषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड
3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरस्थान

अधिराषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel Fax No-07432-232230 Email id-dc@jalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/11843

दिनांक 6-8-19

निमित्त :-

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय :- Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMF (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा कराने के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 () 2014/झालावाड़ रोड/एफ.सी. ए/प्रमुखस/2761-62 दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिराषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनो सड़को की राशि टी.वी वाउचर संख्या 17865 दिनांक 27.08.2019 को केम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा हो गई है जिसके याम बिल, टी.वी वाउचर व चालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रयोजित संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1.	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150850177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का भ्रम करे। संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
[Signature]
(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () विकास/2019-20/
प्रतिलिपि अधिराषी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा नि वि खण्ड अकलेरा

क्रमांक 302

दिनांक 2/08/20

✓ श्रीमान उपवन संरक्षक
झालावाड

विषय: - बिलो के भुगतान जमा होने के काम में

1. Construction of road from Barodiya to Jalamani under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7757 / 2014)
2. Construction of road from NH -12 TO Rojiya sanctioned under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7595 / 2014)
3. Construction of road from NH - 12 Km. 358/500 to Nayagoan Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal NO FP / RJ/ ROAD / 7759 / 2014)

प्रसंग श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14 (I) 2014 / झालावाड रोड / एफ सी ए / प्रगुवरा

1. 2503 - 04 दिनांक 11.07.2019
2. 2506 - 07 दिनांक 11.07.2019
3. 2761 - 62 दिनांक 24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्रों के संदर्भ में निवेदन है कि उक्त तीनों सड़कों का भुगतान टी वी याउघर्स संख्या 17864 (रोज्या सड़क), टी वी याउघर्स संख्या 17865 (नयागांव भानपुरा सड़क) टी वी याउघर्स संख्या 17866 (जटामरी सड़क) से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड को खाता संख्या 1508581135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है भुलवश उसमें जमा हो गयी है जिसके बिल, टी वी याउघर्स व झालान की प्रति पत्र के साथ संलग्न है

FCA

Kul

6/8/2019

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	प्रपत्र संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1.	FP/ RJ / ROAD / 7757 / 2014 ढाढ़ादिहा से जटामारी	1086947.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177570372
2	FP/ RJ / ROAD / 7595 / 2014 एनएच 12 से रोजया	628493.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856175950315
3	FP/ RJ / ROAD / 7759 / 2014 एनएच 12 किमी से 352/500 से नयागांव मानपुरा	499056.00	150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त तीनों सड़कों की राशि जो कि खाता संख्या 150856113599281 मोहनपुरा से गणेशपुरा लाडान में जमा हो गयी है उसको उक्त सड़कों के खाता में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करें।

गोपदीय

अभिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

सप्रमाण: — वाम बिल, टीवी
वायवर व घालान की प्रतियां

केंद्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि श्रीमान प्रधान मुख्य अत संरक्षक (Hoff) राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि श्रीमान मुख्य वन संरक्षक झोटा

प्रतिलिपि श्रीमान अधिक्षक अभियन्ता सा नि वि वृत्त झालावाड

अभिशाषी अभियन्ता
सा नि वि खण्ड अकलेरा

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:- 321

दिनांक:- 7/8/2019

श्रीमान् उपवन संरक्षक
झालावाड़ जिला झालावाड़ राजो

विषय:- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura
under RRSMP (Phase II) in Rajssthan
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759/2014) (0.2 Ha.)

संदर्भ:- श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 14
()2014 / झालावाड़ रोडस/एफसीए/प्रमुवरा/24.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट में पायी गयी कमियो की पूर्तिकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

क्रमांक	बिन्दुवार पायी गयी कमिया	बिन्दुवार कमिया की पूर्ति
1	प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवाई गई है। प्रस्ताव में पालना देरी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन विभाग संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 03.03.2015 को जारी की गई थी। परन्तु विभाग द्वारा पालना, रिपोर्ट एवं राशि विभाग को देरी से प्राप्त हुई थी जिसको की देरी से जमा करवायी गयी इससे विलम्ब हुआ। No violation Certificate संलग्न।
2	उप वन संरक्षक द्वारा राशि रु. 7988735/- जमा होना अवगत कराया गया है। जबकि ऑनलाईन परीक्षण किये जाने पर राशि रु. 7489639/- जमा की गई। अतः बकाया राशि रु. 499096/- का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।	बकाया राशि 499096/- रु टीवी वाउचर संख्या 17865 से दिनांक 27.06.2019 को केम्पा फण्ड के खाता सं0 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोढान के खाते में भुलवश जमा हो गई है। जिसको स्थानान्तरित करने हेतु श्रीमान् मुख्य वनसंरक्षक जयपुर को निवेदन किया हुआ है।
3	उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यो की गई है।	मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एल.सी.बागडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/

दिनांक:

मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759
/2014

संदर्भ:-आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर इसमें निम्नानुसार कमियां पायी गयी है:-

1. प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.03.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसकी पालना 4 वर्षों के उपरांत भिजवायी गई है। प्रस्ताव में पालना देशी से भिजवाये जाने का कारण एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक द्वारा निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है:-

1. 100 वृक्षों का वृक्षारोपण	-	982936.00
2. दोनों ओर का वृक्षारोपण	-	6880599.00
3. एन.पी.वी.	-	125200.00
		7988735 / -

जबकि ऑनलाईन राशि जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि जमा की गई है:-

दिनांक 26.04.2017	-	7102000 / -
दिनांक 01.11.2018	-	387639 / -
		7489639 / -

अतः वृकाया 499096.00 राशि का मिलान नहीं हुआ है जो प्रस्तावित है।

3. उप वन संरक्षक द्वारा लिखा गया है कि कोई मलबा सृजित नहीं होगा फिर भी मक डिस्पोजल योजना को प्रेषित करने की वचनबद्धता संलग्न क्यों की गई है।

अतः उक्तानुसार बिन्दुओं की पालना उप वन संरक्षक, झालावाड़ एवं संबंधित यूजर एजेंसी से करवाकर शीघ्र इस कार्यालय को भिजवावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,



(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2014/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/27 61-82 दिनांक: 24/7/19
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
2. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।


(गणेश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक (एफ सी ग)

अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tel/Fax No-07432-232230 Email Id-dcfiha@nwar1967@gmail.com
कमांक एफ () विकास/2019-20/11843 दिनांक 6-8-19

✓ श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff)
अरण्य भवन, जयपुर

विषय - Construction of road from NH-12 Km- 358/500 to Naragoon
Bhanpur under RRSMP (Phase - II) in Distt Jhalawar (Proposal
NO FP/RJ/ROAD/7759/2014) के भुगतान जमा करवाने के संबंध में।

प्रसंग - श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff) राजस्थान, जयपुर के पत्र
कमांक एफ 14 () 2014/झालावाड़ रोड/एफ.सी. ए/प्रमुक्स/2761-62
दिनांक 24.07.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं आपके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अधिकांश अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा ने अपने पत्रांक 302 दिनांक 02.08.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत करवाया है उक्त तीनों सड़कों की राशि टी वी वाउचर संख्या 17885 दिनांक 27.08.2019 को केम्पा फंड के खाता संख्या 1508561135992381 जो कि मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान का है उसमें जमा हो गई है जिसके बाम बिल, टी वी वाउचर व अन्योन्य की प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

जमा करवायी गयी राशि का विवरण इस प्रकार है।

क्र.सं.	प्रोजेक्ट संख्या व सड़क का नाम	राशि	जमा करवायी गयी राशि का खाता संख्या	खाता जिसमें जमा करवाना था
1	FP/RJ/ROAD/7759/2014 एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा	499056.00	1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान	150856177590992

अतः श्रीमान से निवेदन है कि एनएच 12 किमी 358/500 से नयागांव भानपुरा सड़क की राशि जो कि खाता संख्या 1508561135992381 मोहनपुरा से गणेशपुरा लोडान में जमा हो गई है उसको इस सड़क के खाता संख्या 150856177590992 में स्थानान्तरित करवाने का श्रम करे।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(नन्दलाल प्रजापरा)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कमांक एफ () विकास/2019-20/
प्रतिलिपि अधिराशी अभियंता सा. नि. वि. खण्ड, अकलेरा को सूचनाार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

पर्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर
 दिनांक

क्रमांक एफ 14()2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रभुवस /

विषय Construction of NH-12 Km 358/500 to Nayagaun Bhanpura under
 RRSMP (Phase-II) in Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7759
 2014
 सद्यः आपका पत्रांक 3919 दिनांक 20.06.2019

प्रस्तावित विषयान्वित सदर्मित पत्र से प्राप्त विन्दुवार पालना रिपोर्ट का
 परीक्षण करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष प्राप्त हुआ है।
 1. प्रस्तावित पालना के लिए दिनांक 03.03.2015 का सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है।
 2. प्रस्तावित पालना के लिए 1980 के अंतर्गत उत्खनन नहीं होने का प्रमाण-पत्र
 प्राप्त है।
 3. प्रस्तावित पालना के लिए निम्नानुसार राशि जमा होना अवगत कराया है -
 982936.00
 6880599.00
 125200.00
 7988735/-
 4. प्रस्तावित पालना के लिए जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि

71020.00/-
 287000/-
 2489039/-
 5. प्रस्तावित पालना के लिए जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि
 6. प्रस्तावित पालना के लिए जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि
 7. प्रस्तावित पालना के लिए जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि
 8. प्रस्तावित पालना के लिए जमा होने का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार राशि

भवदीय

(Signature)

(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014 / झालावाड रोड्स / एफसीए / प्रभुवस / 27.6.19 दिनांक 27.6.19
 प्रतिलिपि-निम्नांकित को सदर्मित पत्र के क्रम में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
 है-

1 उप वन संरक्षक, झालावाड।

अधिसासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-अकलेरा।

(गणेश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक (एफ सी ए)

अरण्य भवन, जयपुर

अभिज्ञान मानक

Reference No : 24388924

Government Of Rajasthan
WAM Interim bill sheet

Related Wam bill of EX org paid Div-Aklera(15294)

Bill For Works Payment WAM Payment		Months/Year	May/2019
Division Name	EX EN PWD AKLERA	Reference No	1752875
DOB	24/05/2019	Wam Reference No	01/1 of 10
TAN	JONE00424E	Bill No	10072
SF	499056 00	DOCode	15294
		Budget Head	3054-04-805-02-01/SF/V
		NA	0 00

To: The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 499056 as per the claim contained in this bill
Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this draws within the range of sanctioned budget/LC
I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign Of DDO with Seal and Digital Sign of DDO

Sl. No	Name Address Mobile	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	Budget Head Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE 1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:00 AM	499056 00 499056 00	1752875

Gross Amount Rs. 499056 00

B.T Amount Rs.

Amount in Words : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX Only

Net Amount Rs. 499056 00

For Accountant General Office

Admitted ₹ Objected ₹	No: 499056 00		Date: 24/05/2019
	(In Words) : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY		
	B.T Heads		
	Head Amount		
	Total (In Cash) ₹ 499056 00 (In Words) : FOUR LAKH NINETY NINE THOUSAND AND FIFTY SIX ONLY		
Auditor	Supdt	Gaz Officer	Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer

NH-12 से 14) गाय मालगुल

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Form RPWA 28

Bill No. & Date:

Reference No.:

Bill Ref No.: 10072. Dated: 24/05/2019

Division Name: EX-Leng perd Div-Aklara. Division Code: 15294

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: NH-12 km 358/500 to Nayagoan

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/Bill No: Dated:

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: Account No. - 150856113599281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
------	-----------	-------------	--------

Net Amount Payable In Figures: 4,99,056 (In Words): Rupees Four Lakh Ninety Nine Thousand Fifty Six Only

Received fromsum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)....purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

Signature of DA with seal

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal
साधना वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

24/2018

NEFT RTGS CHALLAN

NH12H 1410000 1010000

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(45)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words : Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2018

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6177590992
MoEF/SG File No.	1(45)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	499056/-

Amount in Words : Four Lakh Ninety-Nine Thousand and Fifty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856177590992 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

अधिसूचना 15/2018
सं. नि. नि. सं. 15 अ. सं. 15294
डी. डी. ओ. 15294

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प. १ (४६) वन/२०१५

जयपुर दिनांक 03.03.2015

प्रधान मुद्रण वन संशोधक (HoFF)

सकायस्य सभापतिः

विषय :- Construction of NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura

Under DDCMO / (Index II) in D-100000

संख्या :- एमएम संख्या पी/एच/रोड/7759/2014

●

पुष्पक उपरोक्त तारीख दिनांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के मातः धारा-2 में वन भूमि प्रत्यक्षता की स्वीकृति नहीं है। प्रथम चरण वन संरक्षक सच. जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त वन संरक्षक केन्द्र जयपुर के वन संरक्षक एन. नं. 11-9/98-एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व वन संरक्षक सचारा क्षेत्रीय कार्यालय के वन संरक्षक 736 दिनांक 10.09.2014 में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति जम्मा करी दिए निर्देशों की सामान्य धारा 1980 Construction of NH-12 Km 356/50 to Nayabnagar Bhanapura under RRSMP (Phase II) in Rajasthan में 02 डेसेपर हेतु वनभूमि के प्रत्यक्षता की सैद्धांतिक स्वीकृति नियम तारी के आध्यापीन प्रस्ताव को जारी है।-

- [illegible]

प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के अग्रणी एवं विद्वान् मन्त्रिमण्डल द्वारा होने का ही हम (काँग्रेस) अविचलित 1980 के तत्पश्चात् विधिवत स्वीकृति जारी की गयी है। प्रत्येक अविचलित को हम पूर्ण/शुद्ध का इस्तेमाल को कार्यकारी प्रमाण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व जारी की गयी है।

राजकीय,
(जी.एस. राजकीय)
राजकीय राजकीय-राज

[illegible]

18

[illegible][illegible]

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a dark vertical line along the left edge, possibly indicating a binding or a crease. There is a small dark mark near the bottom left corner. The overall tone is warm and slightly off-white.

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतान राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

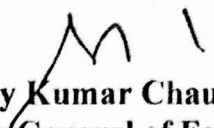
Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897743	15085611 3599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004